रजिस्टर्ड नं0 एल-33/एस0 एम0/13-14/96

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 15 जनवरी, 1996/25 पौष, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 15 जनवरी, 1996

संख्या 1-3/96-वि0 स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1996 (1996 का

238-राजपत्र/96-15-1-96—1,210 मूल्य : 1 रुपया।

विधेयक संख्यांक 7) जो दिनांक 15 जनवरी, 1996 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-

सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

1996 का विधेयक संख्यांक 7.

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1996

(विधान सभा में यथा पुर:स्थापित)

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 (1972 का 10) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1996 है।

(2) यह अधिनियम 9 नवम्बर, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 2 का संशोधन।

1972 का 10

2. हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में —

(i) खण्ड (ड) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् चिन्ह और शब्द ",उपाध्यक्ष" अन्त:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खण्ड (न) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (न न) अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(न न) "उपाध्यक्ष" से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ; "।

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में —

(i) उप-धारा (4) में,—

(क) शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् चिन्ह और शब्द ",उपाध्यक्ष" अन्त: स्थापित किए जाएंगे;

(ख) खण्ड (घ) और (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(घ) प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग; पदेन सदस्य;

(ङ) प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग; पदेन सदस्य ; " ;

(ii) उप-धारा (5) में, "अध्यक्ष" शब्द के पश्चात् "या उपाध्यक्ष" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 5 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 में, शब्द "अध्यक्ष", जहां भी आया है, के पश्चात् चिन्ह और शब्द ",उपाध्यक्ष" अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 5-क का अन्त: स्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 5-क अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"**5-क उपाध्यक्ष के कर्त्तव्य.**—बोर्ड का उपाध्यक्ष ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित और प्रदत्त की जाएं"।

धारा 6 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 में शब्द "अध्यक्ष", जहां कहीं भी आया है, के पश्चात् शब्द "या उपाध्यक्ष" अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 7 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 7 में शब्द "अध्यक्ष", जहां कहीं भी आया है, के पश्चात् शब्द "और उपाध्यक्ष" अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 8 का प्रतिस्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा 8 प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"8. **अध्यक्ष के अवकाश की मंजूरी और कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति.**—(1) सरकार, समय-समय पर अध्यक्ष को ऐसा अवकाश मंजूर कर सकेगी जो नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो।

(2) जब कभी अध्यक्ष के पद में अस्थायी रिक्ति हो जाती है, तो ऐसी रिक्ति की अवधि के दौरान उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा; और जब कोई उपाध्यक्ष न हो तो सरकार ऐसी रिक्ति की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगी और ऐसे व्यक्ति को ऐसा पारिश्रमिक और भत्ते संदत्त करेगी जो उसके द्वारा नियत किए जाएं। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए, अध्यक्ष समझा जाएगा।"।

धारा 10 और 11 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 10 और धारा 11 में शब्द "अध्यक्ष", जहां कहीं भी आया है, के पश्चात् चिन्ह और शब्द ",उपाध्यक्ष" अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 19 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ग) में शब्दों "उसकी अनुपस्थिति में" के पश्चात् "उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 52 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब्द "और उपाध्यक्ष", अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 53 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में शब्द और चिन्ह "अध्यक्ष," के पश्चात् शब्द और चिन्ह "उपाध्यक्ष," अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

निरसन और व्यावृत्ति।

13. (1) हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। 1995 का 3

(2) हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1995 के निरसित होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम 9 नवम्बर, 1995 से प्रवृत्त हुआ था। 1995 का 3

उद्देश्यों और कारणों का कथन

गत कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड की गतिविधियों में कई गुणा वृद्धि हुई है। इस समय प्रभारी मन्त्री (आवास) हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के अध्यक्ष हैं किन्तु उनके मन्त्री के रूप में विभिन्न कर्तव्यों के निर्वहन में व्यस्तता के कारण, उक्त बोर्ड के कार्य के लिए पूरा समय दे पाना उनके लिए कठिन है। हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 में हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। इस प्रकार उक्त बोर्ड के कृत्यों को सुकर बनाने और अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आवासन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए, उक्त बोर्ड के उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया था। इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया था।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 में शीघ्र संशोधन करना अपेक्षित था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 8 नवम्बर, 1995 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का 3) प्रख्यापित किया गया था, और वह 9 नवम्बर, 1995 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था। उक्त अध्यादेश को अब नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

अतः यह विधेयक उपरोक्त अध्यादेश को, बिना किसी उपान्तरण के, प्रतिस्थापित करने के लिए है।

जय बिहारी लाल खाची,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
15 जनवरी, 1996.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 6, अधिनियमित होने पर, उपाध्यक्ष को ऐसे पारिश्रमिक और भत्ते प्राप्त करने के लिए हकदार बनाएगा जो सरकार द्वारा नियत किए जाएंगे और व्यय की पूर्ति आवास बोर्ड की निधि में से की जाएगी।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

Bill No. 7 of 1996.

THE HIMACHAL PRADESH HOUSING BOARD (AMENDMENT) BILL, 1996

A

BILL

(As Introduced in the Legislative Assembly)

further to amend the Himachal Pradesh Housing Board Act, 1972 (*Act No.* 10 *of* 1972).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-sixth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Housing Board (Amendment) Act, 1996.

(2) It shall and shall be deemed to have come into force on the 9th day of November, 1995.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Housing Board Act, 1972 (*hereinafter called the principal Act*)— 10 of 1972

(*i*) in clause (*m*), after the word "Chairman", the sign and word ",the Vice-Chairman" shall be inserted;

(*ii*) after clause (*t*), the following clause (*tt*), shall be inserted, namely:—

"(*tt*) "Vice-Chairman" means the Vice-Chairman of the Board;".

Amendment of section 3.

3. In section 3 of the principal Act—

(*i*) in sub-section (4),—

(*a*) after the words "a Chairman", the sign and word ", a Vice-Chairman" shall be inserted;

(*b*) for clauses (*d*) and (*e*), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(*d*) Engineer-in-Chief, Himachal Pradesh Public Works Department; *ex-officio* Member;

(*e*) Engineer-in-Chief, Himachal Pradesh Irrigation and Public Health Department; *ex-officio* member; " ;

(*ii*) in sub-section (5), after the word "Chairman", the words "or the Vice-Chairman" shall be inserted.

Amendment of section 5.

4. In section 5 of the principal Act, after the word "Chairman", wherever occurs, the sign and words ", the Vice-Chairman" shall be inserted.

Insertion of section 5-A.

5. After section 5 of the principal Act, the following section 5-A shall be inserted, namely:—

"5-*A. Duties of the Vice-Chairman.*—The Vice-Chairman of the Board shall perform such duties and exercise such powers as may be assigned to, and conferred upon him, by the State Government.".

Amendment of section 6.

6. In section 6 of the principal Act, after the word "Chairman", wherever it occurs, the words "or the Vice-Chairman" shall be inserted.

Amendment of section 7.

7. In section 7 of the principal Act, after the word "Chairman", wherever it occurs, the words "and the Vice-Chairman" shall be inserted.

Substitution of section 8.

8. For section 8 of the principal Act, the following section 8 shall be substituted, namely:—

"8. *Grant of leave to the Chairman and appointment of an acting Chairman.*—(1) The Government may, from time to time, grant to the Chairman such leave as may be admissible under the rules.

(2) Whenever there is a temporary vacancy in the office of the Chairman, the Vice-Chairman shall act as the Chairman during the period of such vacancy; and whenever there is no such Vice-Chairman, the Government may appoint a person to act as the Chairman during the period of such vacancy and shall pay to such person such remuneration and allowances as may be fixed by them. The person so appointed shall be deemed for all purposes of this Act to be the Chairman.".

Amendment of sections 10 and 11.

9. In sections 10 and 11 of the principal Act, after the word "Chairman" wherever it occurs, the sign and words ",the Vice-Chairman" shall be inserted.

Amendment of section 19.

10. In section 19 of the principal Act, in clause (*c*), after the words "in his absence by", the words "the Vice-Chairman and in the absence of both by" shall be inserted.

Amendment of section 52.

11. In section 52 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (*a*), after the words "Chairman", the words "and the Vice-Chairman" shall be inserted.

Amendment of section 53.

12. In section 53 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (*c*), after the word and sign "Chairman," the words and sign "the Vice-Chairman," shall be inserted.

Repeal and savings.

13. (1) The Himachal Pradesh Housing Board (Amendment) Ordinance, 1995, is hereby repealed. 3 of 1995

(2) Notwithstanding the repeal of the Himachal Pradesh Housing Board (Amendment) Ordinance, 1995, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if this Act had come into force with effect from the 9th day of November, 1995. 3 of 1995

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The activities of Himachal Pradesh Housing Board have increased manifold over the years. At present the Minister-in-Charge (Housing) is the Chairman of the Himachal Pradesh Housing Board. But due to his involvement in multiferious duties as a Minister, it is difficult for him to devote full time for the work of the said Board. The Himachal Pradesh Housing Board Act, 1972 has no provision for the appointment of a Vice-Chairman of the Himachal Pradesh Housing Board. Thus to facilitate smooth functioning of the said Board and to overcome the practical difficulties in the implementation of the Housing Programme in accordance with the provisions of the Act, it was considered necessary to provide for the appointment of a Vice-Chairman of the said Board. It has thus become necessary to make immediate amendment in the aforesaid Act.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the amendments in the Himachal Pradesh Housing Board Act, 1972 was required to be made urgently, the Governor, Himachal Pradesh promulgated under clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Himachal Pradesh Housing Board (Amendment) Ordinance, 1995 (Ordinance No. 3 of 1995) on the 8th day of November, 1995 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary), on the 9th day of November, 1995. The said Ordinance is now required to be replaced by a regular enactment.

Hence this Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without any modification.

JAI BIHARI LAL KHACHI,
Minister-in-Charge.

SHIMLA:

The 15*th January*, 1996.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 6 of the Bill, when enacted, will make the Vice-Chairman entitled to receive such remuneration and allowances as may be fixed by the Government and the expenditure is to be met out of the funds of the Housing Board.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।